न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी क्षैत्र धार जिला धार (म.प्र.)
प्रकरण कमांक 07/अ–82/16-17

उप मुख्य इंजिनियर(निर्माण),
पश्चिम रेलवे रतलाम ——आवेदक
विरूद्ध
मोहनसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपुत,
निवासी सिरसौदा ——अनावेदक

विषय– इन्दौर–दाहोद (बरास्ता धार–झाबुआ) नई बडी रेलवे लाईन परियोजना अन्तर्गत ग्राम सिरसौदा की निजी भूमि का अधिग्रहण

(अवार्ड पारित दिनांक 07.07.2017)

उप मुख्य इंजिनियर(निर्माण), पश्चिम रेलवे रतलाम के पत्र कमांक/आरटीएम/डब्लयू–335/1 एकलदूना–नौगांव बुजुर्ग/2015 रतलाम दिनांक 05.10.2015 के माध्यम से ग्राम सिरसौदा तहसील धार की निजी भूमि क्षैत्रफल 0.390 हैक्टर इन्दौर–दाहोद (बरास्ता धार–झाबुआ) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण से प्रभावित होने से भू अर्जन की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

उप मुख्य इंजिनियर(निर्माण), पश्चिम रेलवे रतलाम द्वारा अर्जन की जाने वाली भूमि के नक्शे व खसरे की नकल प्रस्ताव के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। दिनांक 01.01.2014 से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रभावशील हो जाने से प्रकरण में नवीन भूमि अर्जन अधिनियम के तहत् अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही प्रस्तावित की गई।

उप मुख्य इंजिनियर(निर्माण), पश्चिम रेलवे रतलाम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में निम्नानुसार सर्वे क्रमांक की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित किया गया।

| खसरा कमांक | प्रभावित क्षेत्रफल हेक्टर में | खसरा कमांक | प्रभावित क्षेत्रफल हेक्टर में |
|---|---|---|---|
| 345/3 | 0.011 | 347/2 | 0.379 |

2. प्रकरण में प्रभावित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में तहसीलदार, धार एवं रेलवे विभाग के कर्मचारियों का संयुक्त दल गठित कर परिसम्पत्तियों की जानकारी प्राप्त की गई। प्रभावित भूमि पर कोई परिसम्पत्ति स्थित होना नही पायी गयी।

3. उप मुख्य इंजिनियर(निर्माण), पश्चिम रेलवे रतलाम के प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में समुचित सरकार की ओर से कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार के हस्ताक्षर से नवीन भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11 के तहत् प्रारम्भिक अधिसूचना कार्यालयीन ज्ञाप कमांक/12492/भू अर्जन/अ–82/16–17 दिनांक 31.10.2016 के द्वारा जारी की जाकर, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग–1 में तथा 2 दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी) में प्रकाशन हेतु प्रेषित की गई। तदानुसार प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग–1 में दिनांक 25.11.2016 को पृष्ठ 4583 तथा दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया में दिनांक 07.11.2016 एवं दुसरे समाचार पत्र चेतन्यलोक में दिनांक 06.11.2016 को प्रकाशन हुआ। साथ ही धारा 11 के तहत् प्रारम्भिक अधिसूचना को समुचित सरकार की वेवसाईट पर अपलोड कराते हुए सार्वजनिक स्थानों पर दिनांक 15.11.2016 को चस्पा करके किया गया कि इन्दौर–दाहोद (बरास्ता धार–झाबुआ) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण से प्रभावित होने वाली ग्राम सिरसौदा की निजी भूमि 0.390 हेक्टर की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। योजना का निर्माण प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर–दाहोद नई बडी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेन्ट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है।

4. प्रकरण में नवीन भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत नियत अवधी 60 दिवस में कोई आपत्ति प्रस्तुत न होने से तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार धारा 16 (2) के तहत् प्रभावित व्यक्तियों के विस्थापन की स्थिति निर्मित नही होने से अधिनियम की धारा 19 के तहत् उद्घोषणा के प्रकाशन की कार्यवाही की गई।

5. प्रकरण में समुचित सरकार की ओर कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, धार के हस्ताक्षर से नवीन भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 19 के तहत उद्घोषणा ज्ञापन कमांक/3510/भू अर्जन/2017 दिनांक 20.02.2017 से जारी की जाकर, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग–1 में दिनांक 17.03.2017 को

पृष्ठ संख्या 1359 पर तथा दैनिक समाचार पत्र चेतन्यलोक समाचार में दिनांक 25.02.2017 को एवं दुसरे समाचार पत्र दैनिक बलवास स्टाईम्स में दिनांक 25.02.2017 को प्रकाशन हुआ। साथ ही धारा 19 के तहत् उद्घोषणा को समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराते हुए सार्वजनिक स्थानों पर दिनांक 24.03.2017 चस्पा किया गया कि इन्दौर–दाहोद (बरास्ता धार–झाबुआ) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण से प्रभावित होने वाली ग्राम सिरसौदा की निजी भूमि 0.390 हेक्टर की लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

6. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 19 की अधिसूचनाओं के प्रकाशन उपरान्त अधिनियम की धारा 21 की उपधारा 1 लगायत 5 तक की कार्यवाही किये जाने हेतु कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला धार से दिनांक 17.04.2017 को प्रस्ताव पर कलेक्टर महोदय से अनुमोदन प्राप्त होने पर अधिनियम की धारा 21 के तहत् संबंधित भूमि स्वामियों को व्यापक सूचना पत्र दिनांक 17.05.2017 को जारी किये जाकर तथा उक्त सूचना पत्रों की एक–एक प्रति को जिले की वेबसाईट पर अपलोड कराते हुए समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को यह सूचना दिलवाई गई कि इन्दौर–दाहोद (बरास्ता धार–झाबुआ) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण से प्रभावित उक्त निजी भूमि का कब्जा लेने का सरकार का आशय है और वे सभी व्यक्ति जिनका इस भूमि के सम्बन्ध में हित है, वे अपने हित के प्रकार का विवरण तथा ऐसे हित के मुआवजे के सम्बन्ध में विवरण व भूमि के माप के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो मय अभिलेख, दस्तावेज, व प्रमाण के हितबद्ध कृषक दिनांक 06.06.2017 तक प्रस्तुत करें। सुनवाई हेतु दिनांक 06.06.2017 को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी धार के कार्यालय में आहूत किया गया। हितबद्ध कृषक द्वारा नियत दिनांक को ही आपत्ति प्रस्तुत की गई। प्राप्त आपत्ति का विवरण एवं निरारकण निम्नानुसार है :–

| अ. क्र. | आपत्तिकर्ता का नाम | आपत्ती का प्रकार | विभाग से प्राप्त जवाब एवं पटवारी प्रतिवेदन अनुसार | निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मोहनसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत ग्राम सिरसौदा | भूमि धार शहर से 8 किलोमीटर होने से सिंचित भूमि का मूल्य 3.00 करोड प्रति हेक्टयर की मांग की गई है। | अधिनियम/गाईड लाईन अनुसार मुआवजा देय | अधिनियम के प्रावधान अनुसार मुआवजा का निर्धारण किया जा रहा हैं। |

7. इन्दौर–दाहोद (बरास्ता धार–झाबुआ) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण से प्रभावित प्रस्तावित निजी भूमि का चिन्हांकन उसकी माप तथा रेखांकन उप मुख्य इंजिनियर(निर्माण), पश्चिम रेलवे रतलाम द्वारा पूर्व में ही धारा 12 अनुसार कर लिया गया था। इस कारण अधिनियम की धारा 20 के तहत पुनः कार्यवाही नही की गई।

8. भारत का राजपत्र (असाधारण) दिनांक 19 दिसम्बर 2013 में ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर 2013 के अनुसार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके आगे अधिनियम, 2013 कहा गया है) दिनांक 01 जनवरी, 2014 से प्रवृत्त हो चुका है तथा इस अधिनियम प्रवृत्त होने से उक्त अधिनियम की धारा 114 की उपधारा (1) के अनुसार भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) (जिस इसमें इसके आगे अधिनियम 1894 कहा गया है) निरसित किया गया है।

9. प्रकरण में नवीन भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11, 19 एवं 21 के तहत् कार्यवाही पूर्ण हो जाने से प्रकरण में अवार्ड पारित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

10. नवीन भूमि अर्जन अधिनियम 2013 में भूमि के मूल्य निर्धारण हेतु निम्नानुसार प्रावधान दिये गये है :–

(क) उस क्षेत्र में, जहॉ भूमि स्थित है, यथास्थिति, विक्रय के करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) मे विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य, यदि कोई हो : या

(ख) निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ौसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विकय कीमत : या

(ग) प्राइवेट कम्पनियों के लिए या पब्लिक – प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए भूमि के अर्जन के मामले में धारा–2 की उपधारा (2) के अधीन करार पाए गए प्रतिकर की सम्मत रकन । जो भी अधिक हो ।

परन्तु बाजार मूल्य के अवधारणा की तारीख होगी, जिसको धारा – 11 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है ।

स्पष्टीकरण 1. खण्ड (ख) में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत, उस वर्ष के , जिसमें भूमि का ऐसा अर्जन किया जाना प्रस्तावित है, ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षो के दौरान निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती सामीप्य क्षेत्र में उसी प्रकार के क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या विक्रय के करार को ध्यान में रखकर अवधारित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण 2. स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत को अवधारित करने के लिए, ऐसे विक्रय विलेखों या विक्रय करारों की, जिनमें अधिकतम विक्रय कीमत उल्लेखित है, की कुल संख्या के आधे को विचार में लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 3. इस धारा के अधीन बाजार मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करते समय जिले में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अर्जित भूमि के लिए किसी पूर्ववर्ती अवसर पर प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी कीमत को विचार में नही लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 4. इस धारा के अधीन बाजार मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करते समय, ऐसी किसी संदत्त कीमत को , जो कलेक्टर की राय में वस्तुतः विद्यमान बाजार मूल्य प्रतीत नहीं होती है, बाजार मूल्य की गणना करने के प्रयोजनों के लिए कम किया जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अनुसार संगणित बाजार मूल्य को पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कारक से गुणा किया जाएगा ।

(3) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन बाजार मूल्य निम्नलिखित कारण से अवधारित नहीं किया जाएगा ।

(क) भूमि ऐसे क्षेत्र में स्थित है, जहां भूमि संव्यवहार उस क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन जा सकता है कि –

(ख) उसी प्रकार की भूमि के लिए उपधारा (1) के खंड (क) में यथावर्णित रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या विक्रय विलेख या विक्रय – करार ठीक तीन वर्ष के लिए उपलब्ध नही है : या

(ग) समुचित प्राधिकारी द्वारा बाजार मूल्य भारतीय स्टांप, अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अधीन विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है ।

वहां संबंधित राज्य सरकार, ठीक संलग्न क्षेत्रों में स्थित उसी प्रकार की भूमि की बाबत् उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति में संगणित कीमत के आधार पर उक्त भूमि की प्रति यूनिट क्षेत्र की भू–क्षेत्र कीमत या न्यूनतम कीमत विनिर्दिष्ट करेगी ।

**अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के प्रतिकर के निर्धारण की संगणना हेतु अधिनियम, 2013 की अनुसूची 1 के क्रमांक 2 और 3 के अनुसरण में मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र** दिनांक 03.10.2014 मे अधिसूचना का प्रकाशन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र की दशा मे वह कारक जिसके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जावेगा वह कारक एक माना गया है।

11. नवीन भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 26 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधान एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 मे प्रकाशित अधिसूचना अनुसार उप पंजीयक धार से संबंधित ग्राम सिरसोदा में विगत 3 वर्षो में हुए भूमि के कय विकय एवं धारा 11 के समय आखरी प्रकाशन दिनांक 25.11.2016 संबंधित ग्राम की कलेक्टर द्वारा अनुमोदित प्रचलित गाईड लाईन की जानकारी प्राप्त की गई।

12. उप पंजीयक धार से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में ग्राम सिरसौदा में धारा 11 की अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की दिनांक 25.11.2016 से विगत तीन वर्ष अर्थात दिनांक 26.11.2013 से 25.11.2016 तक की अवधि सिंचित भूमि 8 विकय हुए है । 8 विकयो मे से धारा 26 अनुसार(स्पष्टीकरण–2) औसत के लिए आदि सर्वाधिक मुल्य की 4 विकयो को लिए गया उक्त 4 विकय का क्षेत्रफल 1.467 हेक्टेयर की रूपये 76,28,800/– की हुऐ जिसके अनुसार औसत बाजार मुल्य प्रति हैक्टेयर रूपये 52,00,253/– होता है उक्त अवधि में असिंचित भूमि की मात्र 1 विक्रय क्षैत्रफल 0.152 हैक्टेयर की होकर रूपये 6,38,400/– की

होना पायी गई। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण 4 अनुसार कम क्षेत्रफल की भूमि 0.100 हैक्टेयर से कम जो प्लाट के रूप में होने से तुलनात्मक भूमि में मानी नही जा सकती को औसत की गणना में नही लिया है। असिंचित भूमि की मात्र 1 विकय होने धारा 26 अनुसार(स्पष्टीकरण–2) के तहत औसत मूल्य ज्ञात नही किया जा सकता है। स्पष्टीकरण **(ख) निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ौसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विकय कीमत हेतु अन्य पड़ोसी ग्राम–नियामतखेडी तह. व जिला–धार के विकय पर भी विचार किया गया उक्त ग्रामों में भी असिंचित भूमि के मुल्य हेतु पर्याप्त बिकी नही पाई जाने से** एवं अर्जित भूमि के लिए धारा 11 के प्रकाशन का वर्ष 2016–17 की गाईड लाइन अनुसार बाजार मूल्य सिंचित भूमि की दर प्रति हेक्टर रूपये 52,00,000/– तथा असिंचित भूमि की दर प्रति हेक्टर रूपये 42,00,000/– निर्धारित है। अतः निर्देशों के परिपालन में भूमि के मूल्य निर्धारण हेतु गाईड लाईन की निर्धारित दर सिंचित भूमि के लिए गाईड लाईन (बाजार मूल्य) अनुसार राशि 52,00,000/– तथा असिंचित भूमि के लिए 42,00,000/– मान्य किया जाना न्यायोचित ठहराया जाता है।

13. नवीन भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 30 (1) के तहत् तोषण राशि की गणना भूमियों के मूल्य के 100 प्रतिशत के बराबर की गई। अधिनियम की धारा 30 (3) के प्रावधानों के तहत धारा 11 की अधिसूचना की अंतिम प्रकाशन तिथि दिनांक 25.11.2016 से अवार्ड दिनांक 07.07.2017 तक कुल 225 दिवस की अवधि के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से भूमि के लिए अतिरिक्त मुआवजे की गणना की गई है।

14. ग्राम सिरसोदा तहसील धार की अर्जित की जा रही कुल भूमि क्षैत्रफल 0.390 सिंचित भूमि होकर मुआवजा रूपये **20,28,000/–** परिगणित होती है। जिस पर नवीन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 30 (1) के तहत 100 प्रतिशत तोषण राशि रूपये **20,28,000/–** तथा अधिनियम की धारा 30 (3) के तहत धारा 26 के अधीन उपबंधीत भूमि के बाजार मूल्य पर धारा 11 दिनांक 25.11.2016 से अवार्ड दिनांक 07.07.2017 तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से 225 दिवस का अतिरिक्त मुआवजा राशि रूपये **1,50,016/–** होता है। जिसका कृषकवार मुआवजा राशि का निर्धारण करते हुए गणना पत्रक पृथक से अवार्ड के संलग्न रखा गया है।

15. मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 मे प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में उप मुख्य इंजिनियर(निर्माण), पश्चिम रेलवे रतलाम को भू–अर्जन अवार्ड की राशि रूपये **42,06,016/–** पर प्रशासनिक व्यय के रूप मे 5 प्रतिशत के हिसाब से रूपये **2,10,301/–** लेखाशीर्ष 0029 में भू–राजस्व 800 अन्य प्राप्तियों में चालान द्वारा जमा करने हेतु पृथक से लिखा जावे।

16. अवार्ड की प्रति उप मुख्य इंजिनियर(निर्माण), पश्चिम रेलवे इन्दौर को भेजी जावे साथ ही अर्जित भूमि का शासन पक्ष में राजस्व दस्तावेजो मे भारत शासन रेलवे विभाग के नाम अमल दरामद किये जाने एवं भूमि का कब्जा दिलाये जाने हेतु एक–एक प्रति तहसीलदार धार, राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित हल्का पटवारी को अनिवार्य रूप से भेजी जावे। सम्बन्धित सभी राजस्व अधिकारी/कर्मचारी पारित अवार्ड अनुसार अपने–अपने राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ठियां 15 दिवस में अनिवार्य रूप से करके अपना–अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, साथ ही कब्जा दिलाने की कार्यवाही भी निर्धारित समयावधि में करवाई जाने के लिये उत्तरदायी रहेंगे। अवार्ड की राशि की सूचना सर्व संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को दी जावे।

**अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)**
**एवं भू–अर्जन अधिकारी**
**धार,जिला–धार (म.प्र)**

**अवार्ड राशि रूपये 42,06,016/–**
**(राशि रूपये बयालिस लाख छः हजार सोलह मात्र)**

अनुमोदित,
कलेक्टर 10/8/17
जिला–धार (म.प्र.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू अर्जन अधिकारी, धार जिला धार

प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2016-17

नई बडी रेलवे लाईन दाहोद-इन्दौर (बरास्ता झाबुआ-धार) के निर्माण हेतु रेल परियोजना के अन्दर प्रभावित भूमि ग्राम सिरसोदा तहसील व जिला धार की निजी भूमि का मुआवजा पत्रक

| क्रं. | कृषक का नाम | सर्वे नम्बर | क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | सिंचित/ असिंचित | अर्जित भूमि की दर | अर्जित भूमि का मुआवजा | धारा 30(1) के तहत 100 प्रतिशत तोषण राशि | धारा 30(3) के तहत 12 प्रतिशत वार्षिक दर से अतिरिक्त मुआवज़ा 225 दिवस का | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | मोहनसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत ग्राम सिरसौदा | 345/3 | 0.011 | | | | | | |
| | | 347/2 | 0.379 | | | | | | |
| | योग | 2 | 0.390 | सिचित | 5200000 | 2028000 | 2028000 | 150016 | 4206016 |

(राशि रूपये बयालिस लाख छः हजार सोलह मात्र)

अनुमोदन

11/08/17

कलेक्टर

जिला-धार (म.प्र.)

अनुविभागीय अधिकारी(राज.) एवं

भू-अर्जन अधिकारी, क्षैत्र-धार